

प्रति,

श्रीमान नायब तहसीलदार
तहसील- कोतमा, वृत्त- बिजुरी,
जिला- अनूपपुर (म.प्र.)

विषय- एस.ई.सी.ल. हसदेव क्षेत्र अंतर्गत अधिग्रहित भूमि पर निर्मित रामकृष्ण विवेकानंद-विधापीठ विद्यालय,
बिजुरी का रखरखाव, रकवा सत्यापन बावत।

विषयार्कित के संबंध में लेख है कि श्रीमान के आदेश परिपालन में उक्त विषय का जांच दिनांक 02.05.2019 को
मौके से किया गया। जिसमें पाया गया कि एस.ई.सी.ल. हसदेव क्षेत्र अंतर्गत अधिग्रहित भूमि ग्राम-दलदल एवं
बिजुरी पर निर्मित रामकृष्ण विवेकानंद विधापीठ विद्यालय बिजुरी में प्रमाणित खसरा व रकवा कि जानकारी
निम्नानुसार है।

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	रकवा (हे.)	प्रभावित रकवा
1	दलदल	13	0.777	0.080
2	दलदल	14	1.935	0.118
3	दलदल	15	0.194	0.142
4	दलदल	16	0.599	0.599
5	दलदल	17/1	0.202	0.202
6	दलदल	17/2	0.202	0.202
7	दलदल	18	0.749	0.202
8	दलदल	19	1.108	0.060
9	दलदल	20	0.918	0.040
		9 कित्ता		1.645
क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	रकवा (हे.)	प्रभावित रकवा
1	बिजुरी	249	0.085	0.040
2	बिजुरी	250	0.032	0.032
3	बिजुरी	251	0.190	0.190
4	बिजुरी	252	0.291	0.202
5	बिजुरी	257	0.073	0.060
6	बिजुरी	258	0.279	0.279
7	बिजुरी	259	0.656	0.502
8	बिजुरी	733	0.210	0.012
9	बिजुरी	734	0.121	0.121
10	बिजुरी	735/1क	0.206	0.206
11	बिजुरी	735/1ख	0.202	0.202
		11कित्ता		1.846

यह कि उक्त विद्यालय जिन ग्राम व खसरा नंबर व अंश रकवा पर स्थित है, बिंदुवार खसरावार जानकारी श्रीमान
जी कि ओर अभिस कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


- संलग्न: 1) आवेदन की मूलप्रति।
2) खसरा नकल।
3) मौका पंचनामा।

15.5.19
नायब तहसीलदार
कोतमा, वृत्त बिजुरी
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

राजीव सिंह पटवारी
पटवारी हल्का न. 42
तह. कोतमा जि. अनूपपुर (म.प्र.)

सेवा में,

श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय
वृत्त-बिजुरी, तहसील कोतमा
जिला अनूपपुर (म०प्र०)



विषय:- एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि पर स्थित रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ विद्यालय बिजुरी का खसराबार रकवा सत्यापन बाबत-

विषयान्तर्गत लेख है कि एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि ग्राम दलदल की आराजी खसरा नं- 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 17/3, एवं 18 तथा ग्राम बिजुरी की आराजी खसरा नं- 249, 250, 251, 252/1, 252/2, 252/3, 252/4, 252/5, 257, 258/1, 258/2, 733 एवं 734 के रकवे में एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र द्वारा संचालित रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ विद्यालय जोकि रामकृष्ण सेवा समिति सेवा आश्रम के अधीन है का संचालन किया जा रहा है।


यह कि उक्त विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सी.बी.एस.सी. बोर्ड पर आधारित है जिसको नवीनीकरण पंजीयन के उद्देश्य के लिए निर्मित विद्यापीठ परिसर का ग्राम वार खसरे की भूमि के रकवे का प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

यह कि एस.ई.सी.एल. द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर उपयोग की जा रही विद्यापीठ का ग्राम वार खसरे के रकवे के सत्यापन का प्रमाण पत्र की आवश्यकता है जिससे विद्यालय के लिए उपयोग की जा रही भूमि पर अनापत्ति दिया सके एवं विद्यालय की पंजीयन का नवीनीकरण हो सके।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि विद्यालय के लिए उपयोग की जा रही भूमि का ग्राम वार खसरे की रकवे का सत्यापन कर प्रमाण पत्र दिये जाने की दया हो जिससे विद्यालय का नवीनीकरण पंजीयन हेतु चाही गई जानकारी केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड दिल्ली को उपलब्ध करायी जा सके।

दिनांक-01/04/19

प्रार्थी/आवेदक


31/03/19

(नोडल अधिकारी भू-राजस्व)

एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र कुरजा उपक्षेत्र

साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED
पंजी. कार्या. सीपत रोड, पो.बाक्स नं. 60 बिलासपुर 495006 (छ.ग.)
Regd. Off. Seepat Road, P.B.No.60 BILASPUR-495 006 (C.G.)

"A MINI RATNA COMPANY"



कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, हसदेव क्षेत्र
OFFICE OF THE AREA GENERAL MANAGER
HASDEO AREA
P.O.- South Jhagrakhand Colliery
Distt : KOREA(CG) 497 448
☎ : (07771) 243035, Fax- 241359
E.mail. - cgmhsd@seclhq.com

Ref : SECL/AGM(HSD)/L&R/ 2019/ 35

Dt. 30-5-2019

प्रति,
प्राचार्या,
रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ
कपिलधारा (बिजुरी)

विषय :- एसईसीएल, हसदेव क्षेत्र अंतर्गत कपिलधारा जी.एम. कॉम्प्लेक्स हेतु अधिग्रहित भूमि पर निर्मित रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ विद्यालय बिजुरी परिसर का ग्रामवार, खसरावार, रकबा सत्यापन बावत।

संदर्भ :- आर.के.व्ही.व्ही./01/2018-19/914, दिनांक- 13 जून 2018

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि एसईसीएल, हसदेव क्षेत्र द्वारा संचालित रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ विद्यालय जो कि रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम के अधीन है। उक्त विद्यालय का नामांकन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली पर आधारित है। एसईसीएल बिलासपुर एवं रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम के मध्य दिनांक 13.04.2000 को हुए अनुबंध के बिन्दु क्रमांक 06 के अनुसार एसईसीएल हसदेव क्षेत्र विद्यालय उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध करायेगा।

संदर्भित पत्र के माध्यम से विद्यालय द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही भूमि का रकबा सत्यापन की मांग की गई थी। जिसे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली में विद्यालय पंजीयन के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किया जाना था। तत्संबंध में संचालित विद्यालय के ग्रामवार खसरावार रकबा को सत्यापन के लिए कार्यालय नायब तहसीलदार बिजुरी में आवेदन किया गया।

आवेदन पर नायब तहसीलदार द्वारा उक्त संचालित विद्यालय का ग्राम वार, खसरा वार, रकबा सत्यापन कराया गया तथा जिसे पत्र क्रमांक 61/नायब तहसीलदार दिनांक 15/05/19 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

कार्यालय नायब तहसीलदार द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की मूलप्रति एवं रकबा सत्यापन की मूल प्रति आपको आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

साथ ही साथ आपको सलाह दी जाती है कि विद्यालय के सत्यापित रकबे के अतिरिक्त भविष्य में किसी प्रकार का विस्तार नहीं किया जायेगा। विद्यालय परिसर के विस्तार हेतु लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, अनुमति के उपरान्त ही तदनुसार विस्तार किया जा सकेगा।

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
हसदेव क्षेत्र